न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2772 सन 2026
CNR No. UPSP 01006633 2026
अखिल सैनी पुत्र सुधीर सैनी निवासी गॉव सैदपुरा थाना सरसावा, जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0 संख्या 138/2025
धारा–308(2),351(2) बी0एन0एस0
थाना सरसावा, जिला सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

10.06.2026

आवेदक/अभियुक्त **अखिल सैनी** की तरफ से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं का शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी विकास कुमार प्रबन्धक, खुदरा बिक्री सहारनपुर आएस0एस0 द्वारा थाना सरसावा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि इण्डियन ऑयल कारपोरेशन क0लि0 द्वारा सरसावा नकुड रोड पर बनखण्डी महादेव मन्दिर के पास एक पैट्रोल पम्प की स्थापना की जो बाबा फिलिंग स्टेशन के नाम से पूर्व संचालित था लेकिन उक्त पैट्रोल पम्प के संचालको पर इण्डियन आयल कम्पनी के 22 लाख रूपये व आई.सी.आई.सी बैंक के लगभग 62 लाख रूपये बकाया होने के कारण, कम्पनी की ओर से उक्त पैट्रोल पम्प के स्वामियो को कई बार रूपया जमा करने सूचना दिये जाने के बाद भी उनके द्वारा रूपया जमा न करने पर कम्पनी द्वारा उक्त पैट्रोल पम्प अस्थाई रूप से संचालन हेतु मै0 नरेन्द्र आटो लिंक चिलकाना रोड सहारनपुर को माह दिसम्बर 2024 में आवंटित किया गय। मै0 नरेन्द्रा आटो लिंक के संचालक द्वारा कम्पनी को अवगत कराया गया कि उक्त पैट्रोल पम्प के पूर्व संचालको द्वारा उन्हे डरा घमका कर 50,000/रू0 ले गये और शाम को सुभाष सैनी द्वारा पुनः जबरदस्ती 50,000/रू0 ले गया और पैट्रोल पम्प बंद कराने की धमकी दी और एक रंगदारी की चिटठी देकर मुनाफे का 60 प्रतिशत देने नहीं तो पैट्रोल पम्प बंद कराने की दमकी दिये जाने के तथ्य से अवगत कराया गया है।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त एवं अन्य सह अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा बाद विवेचना मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 06 दिन के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियोजन घटना कहानी स्वॅय में ही सन्देहास्पद है। प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तक आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय द्वारा दिनांक 30.05.2025 को स्वीकार की गयी थी तथा आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त अभियुक्त की ओर से दौरान विचारण अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से उसे अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सुशीला अग्रवाल बनाम् स्टेट (एन0सी0टी0 ऑफ देहली) एवं अन्य ए0आई0आर0 ऑनलाइन 2020 एस0सी0 74** में यह अभिमत व्यक्त किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नीयत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने–मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचार करना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत भी व्यक्त किया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पोशणीय है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **अमनप्रीत सिंह बनाम् सी0बी0आई0 2021 एस0सी0सी0 ऑनलाइन एस0सी0 941** के मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि यदि अभियुक्तगण को दौरान विवेचना गिरफ्तार नहीं किया गया है तो ऐसी दशा में उसे जमानत पर निर्मुक्त करना उचित है।

अवर न्यायालय की तलबिदा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर इण्डियन आयल कारपोरेशन क0 लि0 द्वारा मै0 नरेन्द्र आटो लिंक चिलकाना रोड सहारनपुर के संचालक को सरसावा नकुड रोड पर आवंटित पैट्रोल पम्प को बंद कराने की धमकी देकर उनसे अवैध धनराशि की वसूली करने व मुनाफा में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी की मांग करने तथा जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1919/2025 में पारित आदेश दिनांकित 30.05.2025 के अनुसार मामले में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने तक अग्रिम जमानत पर था और विवेचक द्वारा बाद विवेचना मामले में आरोप पत्र प्रेषित किये जाने के उपरान्त अवर न्यायालय द्वारा बाद प्रंसज्ञान अभियुक्त के विरूद्ध सम्मन निर्गत किये जाने पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से दौरान विचारण अग्रिम जमानत हेतु यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा दौरान विचारण प्राप्त अग्रिम जमानत का दुरूपयोग किया जाना परिलक्षित नहीं है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती बच्ची देवी बनाम् उ0 प्र0 राज्य प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 528 बी0एन0एस0एस0 नम्बर 6400 सन 2025** मे पारित आदेशानुसार दौरान विवेचना अभियुक्त को गिरफतार न किए जाने की स्थिति में अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण निर्णय विधि सतेन्द्र कुमार अंतिल में प्रतिपादित सिद्धांतो में किया जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किये गये अभिमत को दृष्टिगत रखते हुये गुणदोष पर बिना कोई अभिमत प्रकट किये आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अखिल सैनी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त वर्णित अभियोग में अभियुक्त द्वारा मु0–25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर मुकदमे के अंतिम निस्तारण तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये :–

1. अभियुक्त, मामले की सुनवाई हेतु नियत तिथियों पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

2. अभियुक्त, आरोप विरचन के समय, साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगें तथा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

3. अभियुक्त प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रकार का दबाव, धमकी, प्रलोभन किसी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं करेगा, जो केस के तथ्यों के सम्बन्ध में जानकारी रखता हो।

4. अभियुक्त, धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध किये जाने हेतु नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

5. अभियुक्त विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।

6. अभियुक्त आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेगा।

7. अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेष पारित किया जाये।

इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाये।

दिनांकः–10.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891